

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-304/18 श्र.सं.- 153  
बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर।  
मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना।  
श्रम अधीक्षक, वैशाली-01/जमुई ।

पटना, दिनांक:- 25-2-19

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध -मांग सं.-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3386 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत 13 कार्यालयी व्यय के अन्तर्गत विषयशीर्ष- 0108.13.01 कार्यालय व्यय से GeM Portal के निर्धारित दर पर/बेल्डॉन के माध्यम से /बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में अर्न्तनिहित नियमों के आलोक में क्रय हेतु निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	13 कार्यालयी व्यय	पत्रांक/दिनांक
		0108.13.01 कार्यालय व्यय	
1	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	35000	392/8.2.19 के आलोक में
2	मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना।	240660	44/21.01.19 के आलोक में
3	श्रम अधीक्षक, वैशाली	25000	74/22.01.19 के आलोक में
4	श्रम अधीक्षक, जमुई	53300	48/19.01.19 के आलोक में
कुल योग		353960	

कुल आवंटित राशि ₹ 3,53,960/- (₹ तीन लाख तिरपन हजार नौ सौ साठ) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से सभी प्रकार के विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दे ।
- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,  
25/2/19  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

12

-2-

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/18 श्र0सं0:- 153 पटना, दिनांक 25-2-19  
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

25/02/19  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/18 श्र0सं0:- 153 पटना, दिनांक 25-2-19  
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/  
संबंधित जिला पदाधिकारी/\*संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/  
आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु /बजट शाखा,  
प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) /व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/02/19  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार ।

\*स्पीड  
पोस्ट